सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः– 16/प्रा0पत्र/2025 दायरा दिनांक :–20.01.2025

GCMS ID-2025/74

बउनवान

1. जसवन्त सिंह आयु 47 वर्ष पिता श्री रूपसिंह जाति राजपूत निवासी रोणीजा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज०

प्रार्थी

बनाम

1. महेन्द्र सिंह पिता श्री रूपसिंह जाति राजपूत निवासी रोणीजा तह0 हिण्डोली
2. भगवान सिंह पिता श्री रूपसिंह जाति राजपूत निवासी रोणीजा तहसील हिण्डोली
3. सोनू कवर पुत्री भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी रोणीजा तहसील हिण्डोली जिला
4. पूजा कंवर पुत्री भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी रोणीजा तहसील हिण्डोली जिला
5. मोना कंवर पुत्री भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी रोणीजा तहसील हिण्डोली जिला
6. मोनिका कंवर पुत्री भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी रोणीजा तहसील हिण्डोली
7. मंजू कंवर पुत्री भंवरसिंह भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी रोणीजा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज०
8. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी राज०

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

वकील प्रार्थी :– श्री महेश नामा।
वकील अप्रार्थी :– श्री चन्द्रप्रकाश जैन।

निर्णय दिनांक :– 12/02/2026

उपरोक्त विषय में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस प्रकार है। कृषि भूमि खाता संख्या 162 ख.स. 547, 548, 561, 572, 573, 574, 575, 576, 955, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 965 966, कुल कित्ता 17 कुल रकबा 6.3615 हैक्टयेर वाके ग्राम रोणीजा पटवार हल्का रोणीजा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज० मे स्थित है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण का पारिवारिक सजरा प्रार्थना पत्र में अंकितानुसार है। प्रार्थना पत्र की

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

चरण संख्या 1 में वर्णित भूमिया के पूर्व खातेदार रूपसिंह पिता औंकार सिंह थे उसकी मृत्यु के बाद नाामान्तरण संख्या 549 खोला गया नामान्तरण मे प्रार्थी का नाम दशरथ सिंह पुत्र श्री रूपसिंह दर्ज किया हुआ है उक्त इन्द्राज गलत एवं अशुद्ध है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम जसवन्त सिंह पिता श्री रूपसिंह है प्रार्थी के सभी सरकारी दस्तावेज़ात, राशनकार्ड, आधारकार्ड, परिवार राशनकार्ड व विद्युत विभाग के बिल व बैंक पासबुक व पेशन कार्ड आदि में प्रार्थी का नाम जसवन्त सिंह पिता रूपसिंह ही दर्ज है लेकिन जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम दशरथ सिंह पिता श्री रूपसिंह गलत दर्ज कर दिया गया है। प्राथी का नाम राजस्व रिकोर्ड में दशरथ सिंह पिता रूपसिंह गलत दर्ज कर दिये जाने से एवं प्रार्थी के सभी सरकारी दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम जवसन्त सिंह पिता रूपसिंह अंकित होने से प्रार्थी उक्त भूमि पर बैंक से ऋण वगेरा व सहकारी योजनाओ का लाभ नहीं उठा पा रहा है। प्रार्थी ने पटवारी हल्का से राजस्व रिकोर्ड में दर्ज गलत दशरथ सिंह पिता रूपसिंह के अंकन को विलोपित कर उसके स्थन पर जसवन्त सिंह पिता रूपसिंह दर्ज करने का अनुरोध किया तो पटवारी हल्का ने तहसीलदार साहब के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु कहां और प्रार्थी ने तहसीलदार साहब हिण्डोली व राजस्व लोक अदालत केम्प रोणीजा में भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन प्रार्थी का नाम दुरूस्त नही किया गया है और अन्तिम बार राजस्व केम्प तहसील कार्यालय मे लगा तो उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करने से मना कर दिया इस कारण प्रार्थी श्रीमान के समक्ष इन्द्राज दुरूस्ती बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत का कारण दिनांक 20.12.2024 को उत्पन्न हुआ है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि ग्राम रोणीजा पटवार हल्का रोणीजा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थत होने एवं लेण्ड रिकोर्ड ऑफीसर की हैसियत से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जमाबन्दी खाता संख्या 162 ख.स. 547, 548, 561, 572, 573, 574, 575, 576, 955, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 965 966, कुल किता 17 कुल रकबा 6.3615 हैक्टयेर वाके ग्राम रोणीजा पटवार हल्का रोणीजा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज० में दर्ज मुस्मात दशरथ सिंह पिताा रूपसिंह के अंकन को दुरस्त कर उक्त के स्थान पर जसवन्त सिंह पिता श्री रूपसिंह दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email: sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 ने जबाव पेश कर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए कथन किया कि विवादित भूमि में प्रार्थी के नाम दशरथ सिंह पिता रूपसिंह के इन्द्राज को दुरूस्त कर उक्त स्थान पर जसवन्तसिंह पिता रूपसिंह दर्ज किए जाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है।

प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 8 की ओर से नायब तहसीलदार दबलाना के पत्रांक :– राजस्व/25/1698 दिनांक :–30.10.2025 से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार ग्राम रोणीजा के खाता संख्या 162 में प्रार्थी सहखातेदार के रूप में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थी का नाम दशरथ सिंह पुत्र रूपसिंह दर्ज हो रहा है। मजमा–ए–आम में प्राप्त जानकारी व ग्रामवासियों/सहखातेदारों अनुसार उक्त खाता नम्बर में दर्ज दशरथ सिंह पुत्र रूपसिंह व जसवन्तसिंह पुत्र रूपसिंह एक ही व्यक्ति का नाम होने से रिकॉर्ड में दर्ज दशरथ सिंह पुत्र रूपसिंह के स्थान पर पर प्रार्थी का शुद्ध नाम जसवन्तसिंह पुत्र रूपसिंह शुद्ध दर्ज किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी को उक्त भूमि विरासत से प्राप्त हुई।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम जसवन्तसिंह पुत्र रूपसिंह है जिसे मुताबिक प्रार्थना पत्र के दुरूस्त किए जाने का कथन किया गया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि "भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।"

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं रिपोर्ट नायब तहसीलदार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, बैंक खाता डायरी, जनआधार कार्ड, भारत निर्वाचन पहचान कार्ड, ग्राम पंचायत रोणीजा प्रमाण पत्र, आयकर कार्ड पेश किए है जिसमें प्रार्थी का सही नाम जसवन्तसिंह पुत्र रूपसिंह है। प्रकरण में नायब तहसीलदार दबलाना से प्राप्त रिपोर्ट में भी प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर भूमि वाके ग्राम रोणीजा प0मं0 रोणीजा के खाता संख्या 162 में दर्ज प्रार्थी का नाम दशरथ सिंह पुत्र रूपसिंह के स्थान पर जसवन्तसिंह पुत्र रूपसिंह शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु नायब तहसीलदार दबलाना को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :–12.02.2026 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

12/02/2026

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446